हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 04 अंक 32 | लखनऊ शनिवार 16 अगस्त 2025 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रुपया

बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन का अध्यादेश मंजूर

चढ़ावा, संपत्ति और प्रशासन का हक अब न्यास को

ब्यूरो

लखनऊ। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन आर्डिनेंस को मंजूरी मिल गई। सदन में बुधवार सुबह 11 बजे विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा शुरू हो गई है। इसमें सरकार विभागवार उपलब्धियां और विजन रख रही है, जबकि विपक्ष के सवालों का दौर भी जारी है। इस दौरान सत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर आर्डिनेंस विधेयक भी पास हो गया है।

विधेयक स्पष्ट करता है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल-अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा. इसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर परिसर और प्रसीमा के भीतर देवताओं के लिए दी गई भेंट/उपहार, किसी भी पूजा-सेवा-कर्मकांड-समारोह-धार्मिक अनुष्ठान के समर्थन में दी गई संपत्ति, नकद या वस्तु रूपी अर्पण, तथा मंदिर परिसर के उपयोग के लिए डाक/तार से भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक तक शामिल हैं। मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, अनुदान, योगदान, हुंडी संग्रह सहित श्री बांके बिहारी जी मंदिर की सभी चल एवं अचल संपत्तियां सम्मिलित मानी जाएंगी।

सरकार ने कहा है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही रीति-रिवाज, त्योहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के जारी रहेंगे। न्यास दर्शन का समय तय करेगा, पुजारियों की नियुक्ति करेगा और वेतन, भत्ते/प्रतिकर निर्धारित करेगा। साथ ही भक्तों और आगंतुकों की सुरक्षा तथा मंदिर के प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी न्यास पर होगी।

न्यास गठन के बाद श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है—प्रसाद वितरण, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग दर्शन मार्ग, पेयजल, विश्राम हेतु बेंच, पहुंच एवं कतार प्रबंधन कियोस्क, गोशालाएं, अन्नक्षेत्र, रसोईघर, होटल, सराय, प्रदर्शनी कक्ष, भोजनालय और प्रतीक्षालय जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।

इस तरह होगा न्यास का गठन

- न्यास में 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य होंगे।
- मनोनीत सदस्य : वैष्णव परंपराओं/संप्रदायों/पीठों से 3 प्रतिष्ठित सदस्य (जिनमें साधु-संत, मुनि, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी सम्मिलित हो सकते हैं)।
- सनातन धर्म की परंपराओं/संप्रदायों/पीठों से 3 सदस्य (उसी श्रेणी के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व)।
- सनातन धर्म की किसी भी शाखा/संप्रदाय से 3 सदस्य (प्रतिष्ठित व्यक्ति/शिक्षाविद/विद्वान/उद्यमी/वृत्तिक/समाजसेवी)।
- गोस्वामी परंपरा से 2 सदस्य- स्वामी हरिदास जी के वंशज; एक राज-भोग सेवादारों और दूसरा शयन-भोग सेवादारों का प्रतिनिधि .सभी मनोनीत सदस्य सनातनी हिंदू होंगे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
- पदेन सदस्य में मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के सीईओ, बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के सीईओ और राज्य सरकार का नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि कोई पदेन सदस्य सनातन धर्म को नहीं मानने वाला/गैर-हिंदू हुआ, तो उसकी जगह उससे कनिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाएगा।

बैठक, दायित्व और वित्तीय अधिकार

न्यास की बैठक हर तीन महीने में अनिवार्य होगी; आयोजन से 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। बोर्ड/सदस्य सद्भावना-पूर्वक किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जाएंगे. न्यास को 20 लाख तक की चल/अचल संपत्ति स्वयं खरीदने का अधिकार होगा; इससे अधिक के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी. मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एडीएम स्तर के अधिकारी होंगे. यह विधेयक मंदिर की धार्मिक परंपरा की रक्षा करते हुए प्रशासन को संस्थागत बनाता है और श्रद्धालुओं को उन्नत अनुभव देने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

इटावा सहकारी बैंक में 102 करोड़ का गबन

चच्चा को अपने ही दे गये गच्चा, संजय निषाद बोले- सपा फूलन की हत्यारी, मचा हंगामा

ब्यूरो

लखनऊ। यूपी 2047 में कैसा होना चाहिए? विकास कैसे हो? कैसे आत्मनिर्भर बने? इसके लिए योगी सरकार आज 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रही है। इस पर 24 घंटे लगातार चर्चा होगी। यानी सदन पूरी रात चलेगा। सदन में सभी पार्टियों के विधायक अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। सपा के 107 में से 27 विधायक विधानसभा में है, जबकि एनडीए के 290 में से 62 विधायक अभी सदन में मौजूद हैं। हालांकि यह संख्या रात भर घटती बढ़ती रहेगी।

सहकारिता मंत्री पीएस राठौर ने कहा, 50 जिला सहकारी बैंकों में 49 प्रॉफिट में है। एक जिला सहकारी बैंक इटावा की है, वो घाटे में है। वहां चच्चा (शिवपाल सिंह यादव) के अपने ही लोगों ने गच्चा दे दिया। वहां 102 करोड़ का गबन हुआ, इस कारण वो घाटे में है। इससे पहले शिवपाल यादव ने महाना से पूछा- रात में कौन जागता है? पीछे से आवाज आई- चोर। शिवपाल ने मुस्कुराते हुए कहा-भाजपा वाले वही हैं। ये रात में जागते हैं।

सहकारिता मंत्री पीएस राठौर ने कहा, विपक्ष ने सरकारी संस्थाओं को खंडहर बनाने का काम किया। सहकारी संस्थाओं ने दम तोड़ दिया था। लेकिन अब सहकारी संस्थाएं किसानों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं। यूपी में 50 जिला सहकारी बैंक हैं। जब भाजपा सरकार में आई तो 16 जिला सहकारी बैंक बंद मिलीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस पर ताले लगा दिए थे। प्रयास चलते रहे। आगे बढ़े। 18 लाख ऐसे गरीब किसान थे, उनका पैसा इन बैंकों में बंद था। वे दर-दर भटकते थे। आज कोई किसान नहीं भटक रहा है। सभी किसानों का सूद ब्याज सहित भुगतान किया गया। 16 जिला सहकारी बैंकों को संचालित ही नहीं किया। ये प्रॉफिट में आ चुकी हैं। 50 जिला सहकारी बैंकों में 49 प्रॉफिट में है। एक जिला सहकारी बैंक इटावा की है, वो घाटे में है। वहां चच्चा (शिवपाल सिंह यादव) के अपने ही लोगों ने गच्चा दे दिया। वहां गबन और घोटाला हुआ, ये गबन 102 करोड़ का गबन इटावा जिला सहकारी बैंक में हुआ, इस कारण वो घाटे में है।

सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा, ऐसा सपना दिखाया जा रहा है कि यूपी स्वर्ग बन जाएगा। हम सब बन जाएंगे स्वर्गवासी। सरकार जनता को धोखा व गुमराह करने के लिए ऐसा कह रही है। इस सरकार को मालूम है कि 2027 में सपा की सरकार बनने जा रही है।

मंत्री संजय निषाद ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, फूलनदेवी और जमुना निषाद के हत्यारे आप लोग हैं। मंत्री के इतना बोलते ही सदन में हंगामा मच गया। सपा के सदस्य नारेबाजी करते हुए संजय निषाद की बेंच तक पहुंच गए। लेकिन, संजय निषाद अपनी बात कहते रहे। उन्होंने कहा कि फूलन देवी ने जब एकलव्य पार्टी बनाई, तब 27 दिन बाद उनकी हत्या हो गई। सीबीआई जांच हो जाए। सच सामने आ जाएगा। साथ ही कहा कि निषादों का कोई नेता नहीं बचा है। मैं बचा हूं। जब कोई निषादों का नेता ही नहीं बचेगा, तो कौन नेतृत्व करेगा।

सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह और मंत्री एके शर्मा के बीच तीखी बहस हुई। सपा विधायक ने कहा- हमारे मंत्री आईएएस थे, लेकिन सिर्फ एक साल डीएम रहे, फिर पीएमओ से यूपी ठेल दिए गए। इस पर मंत्री ने पलटवार किया। कहा- मैं सवा दो साल जिलाधिकारी रहा। फिर विधायक से पूछा- सद्दाम गाजीपुर में पैरलल बिजली व्यवस्था चला रहा था। उसे किसका संरक्षण प्राप्त था। जवाब में ओमप्रकाश सिंह ने कहा- ये साबित कर दें तो मैं सदन छोड़ दूंगा।

इससे पहले, माता प्रसाद ने कहा कि भाजपा पहले 2017 और 2022 के संकल्प पत्र का हिसाब दे। पलटवार करते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा-सपा वाले हमारे संकल्प पत्र का हिसाब मांग रहे हैं। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने मुहर लगाई। इनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है।

माता प्रसाद ने फिर कहा, विजन डॉक्यूमेंट पर जो 24 घंटे चर्चा का समय दिया गया। वो कम है। इस पर

विधान मंडल में 2047 के विजय डॉक्यूमेंट पर चर्चा जारी

युद्ध नहीं रोका तो बहुत गंभीर परिणाम : ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह यूक्रेन में जारी युद्ध को नहीं रोकता, तो उसे "बेहद गंभीर" परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह बयान बुधवार को कैनेडी सेंटर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया।

एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया कि "अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को आपकी मुलाकात के बाद भी युद्ध रोकने पर सहमत नहीं होते, तो क्या रूस को कोई परिणाम भुगतने पड़ेंगे?" इस पर ट्रंप ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, "हां, होंगे। रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परिणाम टैरिफ से लेकर कड़े प्रतिबंधों तक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा, "मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिणाम बेहद गंभीर होंगे।"

एससी/एसटी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका स्वीकार, केंद्र ने कहा था- इसे लागू नहीं किया जायेगा

ब्यूरो

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एससी/एसटी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' लागू करने की मांग पर सुनवाई करने का फैसला किया है। यह याचिका रामाशंकर प्रजापति ने दायर की है। उनका कहना है कि आरक्षण का फायदा ज्यादातर एससी/एसटी के अमीर और मजबूत वर्ग को मिल रहा है, जबकि गरीब लोग पीछे रह जाते हैं।

याचिका में कहा गया है कि एससी/एसटी आरक्षण में दो स्तर हों, पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को , फिर बाकी को मौका मिले। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने 2024 के देविंदर सिंह केस का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी/एसटी में भी 'क्रीमी लेयर' यानी अमीर वर्ग की पहचान करके उन्हें आरक्षण से बाहर किया जा सकता है। अदालत ने माना था कि ऐसा करने से ही असली समानता आएगी।

केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2024 को घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एनडीए सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटते हुए कहा था- राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति, यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद-341 के खिलाफ नहीं है।

7 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।

'जान को खतरा' बताने वाली अर्जी राहुल वापस लेंगे

राहुल को आपत्ति, वकील ने नहीं ली थी उनकी सहमति

एजेंसी

पुणे। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी के वकील ने मानहानि मामले में सुनवाई कर रही पुणे की एक अदालत में उनकी सहमति के बिना यह दावा करते हुए आवेदन दिया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जान को खतरा है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के वकील बृहस्पतिवार को अपना यह लिखित वक्तव्य वापस लेंगे।

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वकील ने यह अर्जी दायर करने से पहले राहुल गांधी की सहमति नहीं ली थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए या उनकी सहमति लिए अदालत में लिखित बयान दाखिल करके उनकी जान पर खतरे का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि इस बात से राहुल गांधी की घोर असहमति है। इसलिए कल उनके वकील इस लिखित बयान को कोर्ट से वापस लेंगे। इससे पहले राहुल गांधी के वकील ने बुधवार को पुणे की एक विशेष अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी को सावरकर की विचारधारा को मानने वालों से गंभीर खतरा है। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ पुणे की अदालत में सावरकर से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई चल रही है। सावरकर के भतीजे अशोक सावरकर के बेटे व आवेदक सात्यकी सावरकर ने मार्च 2023 में लंदन में दिए गए राहुल गांधी के भाषण का हवाला देते हुए पुणे की अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

इस संबंध में खुद राहुल गांधी के वकील ने प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को दायर की गई अर्जी बिना उनके मुवक्किल राहुल गांधी के निर्देशों के न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।

'महात्मा गांधी के हत्यारों के सहयोगियों के वंशज'

राहुल गांधी के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि वह इस मामले में मौजूद राजनीतिक दबावों, प्रभावों और असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखे। आवेदन में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता स्वयं महात्मा गांधी के हत्यारों के सहयोगियों के वंशज होने का दावा कर चुके हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया कि हिंदुत्व की विचारधारा के अनुयायियों ने अतीत में जाति और धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाया, चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की और कई बार असंवैधानिक तरीकों से राजनीतिक सत्ता हासिल की। वकील ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के हालिया 'वोट चोरी' के आरोपों ने राजनीतिक विरोधियों को भड़का दिया है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए इन खतरों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा वास्तविक और गंभीर है।

डीएमके नेता की पत्नी ने गवर्नर से डिग्री नहीं ली

चेन्नई। तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी में बुधवार को 32वें दीक्षांत समारोह के दौरान डीएमके नेता की पत्नी ने राज्यपाल आरएन रवि को नजरअंदाज करते हुए उनसे डिग्री नहीं ली। इसकी जगह उन्होंने कुलपति से डिग्री ली।

राज्यपाल इस समारोह में मुख्य अतिथि थे, सभी पासआउट्स को उन्हीं से डिग्री मिलनी थी। वहीं, डिग्री न लेने वाली महिला डीएमके के नागरकोइल डिप्टी सेक्रेटरी एम. राजन की पत्नी जीन जोसेफ हैं। दरअसल, तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल रवि के बीच कानून बनाने को लेकर लंबे समय से विवाद है। राज्यपाल ने डीएमके सरकार के 10 बिल रोक दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को गलत और असंवैधानिक बताया था।

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने 3 जून को सरकार की ओर से पारित 2 बिलों को मंजूरी दे दी। राज्यपाल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था- यह मंजूरी मिलनी ही थी।

सोनिया को नागरिकता से पहले वोटर आईडी

भाजपा का दावा, रायबरेली में एक पते पर 47 वोटर्स

ब्यूरो

नयी दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी में आरोपों के बीच भाजपा की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बुधवार को दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में दो बार तब शामिल हुआ, जब वह भारतीय नागरिक भी नहीं थीं। वहीं, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर्स कैसे रजिस्टर किए गए हैं, राहुल और सोनिया को कभी ये नाम नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि राहुल दो बार चुनाव लड़े, प्रियंका एक बार चुनाव लड़ीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायनाड में कैसे नए वोटर्स की एडिशन हुई है। आपने तो तीन बार वोट ले लिया। क्या आपने यह कभी नहीं देखा। यह कैसे हुआ?

भाजपा ने यह दावा उस समय किया है जब राहुल और विपक्ष चुनाव आयोग और भाजपा पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि चुनाव आयोग ने भाजपा को चुनाव जिताने में मदद की है और वोटर लिस्ट में कई फर्जी नाम जोड़े गए हैं।

मालवीय ने एक्स पर लिखा, 'यह पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं, जो अयोग्य या अवैध हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हैं।'

सोनिया का नाम पहली बार 1980 में जोड़ा गया। उस समय वे इटली की नागरिक थीं। तब गांधी परिवार 1, सफदरजंग रोड, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी निवास पर रहता था। उस समय इस पते पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के नाम थे। लेकिन 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर्स लिस्ट में संशोधन हुआ, जिसमें सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जोड़ा गया।

1982 में विरोध के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था और 1983 में उनका नाम पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर फिर से जोड़ दिया गया।

मोदी यूएन जायेंगे या नहीं, अभी तय नहीं

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे या नहीं, इस पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इस मामले की जानकारी रखने वालों की ओर से जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक इस पर कोई भी फैसला न्यूयॉर्क में इसकी बैठक के नजदीक आने पर ही होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करने वाले राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की संभावित लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम होने और न्यूयॉर्क में सेशन के दौरान मोदी के साथ संभावित बैठक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की टिप्पणी से उनकी संभावित अमेरिका यात्रा को लेकर अटकलें तेज हैं।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र में उच्च स्तरीय चर्चा के लिए वक्ताओं की प्रॉविजनल लिस्ट में कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं'

विपक्ष को झटका, वोटर की प्रामाणिक जांच जरूरी है इसीलिए 11 दस्तावेज होने चाहिए

ब्यूरो

नयी दिल्ली। बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता हितैषी बताया है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बुधवार को यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में हुए संक्षिप्त पुनरीक्षण में 7 दस्तावेज मान्य थे, मगर अभी के विशेष गहन पुनरीक्षण में 11 दस्तावेजों का विकल्प मतदाताओं को दिया गया है। इससे लगता है कि यह मतदाता के हित में है।

सुप्रीम कोर्ट में 24 जून के फैसले के चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर में चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि ऐसा

प्रतीत होता है कि आयोग ने आधार के अलावा भी बड़ी संख्या में दस्तावेज का विकल्प दिया है, जो समावेशी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाताओं को लिस्ट में शामिल 11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इससे असहमति जताई और कहा कि दस्तावेजों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनका कवरेज सबसे कम है। उन्होंने पासपोर्ट का उदाहरण दिया और कहा कि बिहार में यह केवल एक से दो प्रतिशत लोगों के पास ही यह दस्तावेज है। राज्य में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है।

इस पर बेंच ने कहा कि राज्य में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, तो इसका कवरेज ठीक है। जस्टिस बागची ने कहा कि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से फीडबैक लेने के बाद आमतौर पर दस्तावेजों की सूची तैयार की जाती है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि मतदाता सूची में नागरिकों या गैर-नागरिकों को शामिल करना या बाहर करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। बिहार में एसआईआर में आधार और वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने के आयोग के रुख का समर्थन किया था।

दिल्ली-एनसीआर से तुरंत उठाना शुरू करो कुत्ते

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से बेघर कुत्तों को हटाए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बुधवार को लिखित रूप से अपलोड कर दिया गया। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आवारा कुत्तों को सड़क से तुरंत उठाना शुरू करना होगा। कोर्ट ने कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि आवारा कुत्तों को इकट्ठा करने का काम और साथ ही उनके पुनर्वास, नसबंदी, टीकाकरण के लिए आश्रयों/पाउंड के रूप में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण एक साथ किया जाएगा। हम संबंधित अधिकारियों से आश्रयों/पाउंड के निर्माण के इंतजार के बहाने जरा भी लापरवाही नहीं सुनना चाहते, अन्यथा, हम इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें। हालांकि, अब इस मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा, "किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी बाधा या रुकावट इस कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और हम कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।" कुत्तों की देखभाल करने वालों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे आगे बढ़कर इस पहल का हिस्सा बनें और जिन शेल्टर्स में कुत्तों को रखा जाए, उनकी देखभाल व रखरखाव जिम्मेदारी से करें। ऐसे शेल्टर्स के समुचित संचालन के लिए अपना बहुमूल्य समय और संसाधन स्वेच्छा से दें और संबंधित अधिकारियों की सहायता करें।

टैरिफ अटैक के बीच आरआईसी गोलबंदी तेज

नयी दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत तेजी से पलटवार कर रहा है। अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर आरआईसी की गोलबंदी तेज कर दी है। रूस-भारत-चीन मंच एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस महीने रूस की यात्रा पर जाएंगे, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत दौरे पर आने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत, आरआईसी को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, रूस ने भी आरआईसी त्रिपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वहीं, चीन ने इस पहल का खुले तौर पर स्वागत किया है।

संपादकीय

मृत्यु के बाद भी जीवन

जीवन का सबसे अनमोल उपहार क्या हो सकता है? वह क्षण, जब एक इंसान अपनी मृत्यु के बाद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे, किसी की धड़कनों को नया राग दे दे, किसी की आंखों में फिर से दुनिया की रंगत लौटा दे। विश्व अंगदान दिवस, जो हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है, हमें यही सिखाता है—करुणा, त्याग और मानवता की वह शक्ति, जो सीमाओं को तोड़कर जीवन को अमर बना देती है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक आह्वान है—एक ऐसी पुकार, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी एक छोटी-सी हां, किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। भारत जैसे देश में, जहां लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में सांसे गिन रहे हैं, यह दिवस हमें एकजुट होकर मिथकों को तोड़ने, जागरूकता फैलाने और मानवता के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। अंगदान एक ऐसा नेक कार्य है, जो न केवल किसी की जान बचाता है, बल्कि मानवता के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है। यह वह पुल है, जो अनजान दिलों को जोड़ता है, जो मृत्यु को जीवन में बदल देता है। फिर भी, भारत में अंगदान की स्थिति चिंताजनक है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (एनओटीटीओ) के अनुसार, हर साल करीब 1.8 लाख लोग गुर्दे की विफलता, 80,000 लोग यकृत की विफलता और 50,000 लोग हृदय रोगों के कारण प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में हैं। इसके बावजूद, भारत में अंगदान की दर प्रति दस लाख लोगों पर केवल 0.86 दाता है, जो वैश्विक औसत से कहीं कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़े बताते हैं कि अंगों की कमी के कारण हर साल लाखों लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। यह आंकड़ा न केवल एक सांख्यिकी है, बल्कि उन अनगिनत परिवारों की त्रासदी है, जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि समय पर अंग उपलब्ध नहीं हो सका। भारत में अंगदान को लेकर सबसे बड़ी बाधा है जागरूकता की कमी और गलत धारणाएं। कई लोग मानते हैं कि अंगदान उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, जबकि हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख और जैन जैसे सभी प्रमुख धर्म मानवता की सेवा को सर्वोच्च मानते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में दान को परम पुण्य माना जाता है, और अंगदान को जीवन रक्षक दान के रूप में देखा जा सकता है। फिर भी, मिथक जैसे कि अंगदान से शरीर का अपमान होता है या यह अगले जन्म को प्रभावित करता है, लोगों को इस निर्णय से रोकते हैं। इसके अलावा, मृत्यु के बाद अंगदान के लिए परिवार की सहमति अनिवार्य है, और अक्सर भावनात्मक या सामाजिक दबाव के कारण परिवार इसकी अनुमति देने से हिचकते हैं। विश्व अंगदान दिवस का उद्देश्य इन मिथकों को तोड़ना और एक ऐसी संस्कृति विकसित करना है, जहां अंगदान को सम्मान और गर्व का प्रतीक माना जाए। अंगदान की प्रक्रिया को समझना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीवित अंगदान में व्यक्ति अपने गुर्दे या यकृत का हिस्सा दान कर सकता है, क्योंकि ये अंग पुनर्जनन की क्षमता रखते हैं। मृत्यु के बाद अंगदान में हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय और आंखों जैसे अंग दान किए जा सकते हैं। मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) के बाद अंगदान की प्रक्रिया सख्त चिकित्सकीय और कानूनी प्रोटोकॉल के तहत होती है, जो नैतिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। भारत में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, 1994 इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, और एनओटीटीओ जैसे संगठन अंग आवंटन को निष्पक्ष बनाते हैं। फिर भी, इस प्रक्रिया को और सरल करने की जरूरत है। यदि ऑनलाइन पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जाए और परिवारों को पहले से इस निर्णय के बारे में जागरूक किया जाए, तो अंगदान की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। विश्व अंगदान दिवस उन प्रेरणादायक कहानियों को भी सामने लाता है, जो मानवता की ताकत को दर्शाती हैं। 2020 में, चेन्नई के एक युवक ने मस्तिष्क मृत्यु के बाद और महिदपुर, उज्जैन के विश्वास जवाहर डोसी ने अपने अंग दान किए, जिससे कई लोगों को नया जीवन मिला। ऐसी कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि एक व्यक्ति का निर्णय कई जिंदगियों को रोशन कर सकता है।

कटाक्ष > हसन जैदी

असली चिंता तो बिहार में हार की है...

डॉ. हरिकृष्ण बड़ोदिया

राहुल के आरोप थे कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही होगी। इस बयान से यह पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी की असली चिंता महाराष्ट्र की हार के बाद अब बिहार चुनाव में हारने की है। विपक्ष की यह चिंता तब और बढ़ गई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश मोदी के नेतृत्व को एक सशक्त और निडर सरकार के रूप में देखने लगा है। नि :संदेह यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तान से बदला लेकर उसे घुटनों पर ला दिया।

जिस जन विश्वास पर मोदी सरकार सत्ता में है वह विपक्ष को इतना डरा रहा है कि 2029 में भी उसे नहीं लग रहा कि वह देश के जनमानस को अपने पक्ष में कर पाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई हैं। 11 अगस्त को देश के विपक्ष ने राहुल के नेतृत्व में चुनाव आयोग के विरुद्ध संसद से आयोग तक पैदल मार्च कर जहां एक ओर विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी ओर बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का विरोध किया। विपक्ष इस प्रदर्शन से इतना उत्साहित दिखा कि जैसे चुनाव आयोग ने खुद उसे आंदोलन का अच्छा खासा मौका दे दिया है। इस उत्साह में कुछ नेता जिनमें अखिलेश यादव अव्वल हैं तो इतने बौरा गए कि वे बैरिकेड फांद कर दूसरी तरफ प्रदर्शन करने बैठ गए। समझ नहीं आता यह संविधान बचाने के लिए प्रदर्शन था या संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रदर्शन था। इस सब में यह महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी के कथित एटमबम फोड़ पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से चुनाव आयोग ना तो विचलित है और ना ही घबराया हुआ है क्योंकि वह जानता है कि उसकी पारदर्शिता कहीं भी संदिग्ध नहीं है। एक घंटे से अधिक के प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी यह स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे कि अब तक जितने चुनाव बीजेपी जीतती रही है वह सब चोरी के वोटों के कारण जीती जिसमें चुनाव आयोग भाजपा को मदद करता रहा है। निश्चित ही यह एक बड़ा आरोप है जिसके लिए आयोग ने राहुल से हलफनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा लेकिन राहुल का मानना है कि बिना हलफनामे के आयोग जांच करे क्योंकि उन्होंने तो संसद में शपथ ले ही रखी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आरोपों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी भी आरोप लगाने वालों की होती है। वैसे इन आरोपों में इसलिए दम दिखाई नहीं देता क्योंकि यदि वोटों की चोरी हुई होती तो भाजपा 2019 में मिली 302 सीटों से 2024 में 240 सीटों पर नहीं लुढ़कती। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो दस्तावेजों का पहाड़ जैसा पुलंदा सार्वजनिक किया यदि वे ही आरोप हैं तो यह तो वे पहले भी लगा चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा पर वोटों की धांधली का आरोप लगाया था। करीब 2 महीने पहले 12 जून को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ईमेल और पत्र लिखकर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया था लेकिन राहुल ने आयोग में जाना मुनासिब नहीं समझा। राहुल के आरोप थे कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही होगी। इस बयान से यह पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी की असली चिंता महाराष्ट्र की हार के बाद अब बिहार चुनाव में हारने की है। विपक्ष की यह चिंता तब और बढ़ गई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश मोदी के नेतृत्व को एक सशक्त और निडर सरकार के रूप में देखने लगा है। निःसंदेह यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तान से बदला लेकर उसे घुटनों पर ला दिया। इस कार्रवाई ने भारत की जनता में मोदी के प्रति असीम विश्वास का संचार किया है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कर फर्जी वोटरों, मृत वोटरों, विस्थापित या स्थाई रूप से स्थानांतरित हो गए वोटरों को सूची से बाहर करने का काम किया जिसमें लगभग 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए जो गलत दर्ज थे। निश्चित ही यह फर्जी, मृत, विस्थापित और स्थाई रूप से स्थानांतरित वोटरों की बहुत बड़ी संख्या है। ऐसा क्यों न माना जाए कि इस पुनरीक्षण का विरोध विपक्ष इसलिए कर रहा लगता है कि विलोपित किए गए इन वोटरों में अधिकतर वे फर्जी मतदाता थे जिनके नाम पर वोट डलवाए जाते थे और वे विपक्ष के खाते में जाते होंगे। हालांकि प्रक्रिया रोकने के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उसने प्रक्रिया रोकने के आदेश देने से मना कर दिया। यही नहीं आयोग ने पुनरीक्षित मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी कर आपत्तियों के लिए पर्याप्त समय दिया है किंतु एक पखवाड़े के बाद भी न तो किसी व्यक्ति ने और न किसी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज कराई जो इस बात का सूचक है कि पुनरीक्षण से वास्तविक मतदाताओं की नई सूची तैयार हो जाएगी जो विपक्ष की मांग के अनुसार साफ सुथरी होगी। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर बहुत परेशान लगता है कि अभी बिहार में चुनाव होने हैं इसके बाद अगले साल में तमिलनाडु,असम, केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। यहां भी बिहार जैसा मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है तो बहुत बड़ी संख्या में वोटों की छटनी हो जाएगी जो विपक्ष को नुकसान देह साबित होगी। पश्चिमबंगाल में तो बांग्लादेशी घुसपैठी मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या का अनुमान है यदि ये पुनरीक्षण में निकल दिए गए तो तृणमूल के जीतने की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी। विपक्ष के धरना प्रदर्शन से एक बात स्पष्ट हो रही है कि उसने मोदी विरोध के लिए कमर कस ली है जिसका एकमात्र उद्देश्य मोदी को सत्ता से हटाना प्रतीत होता है। इसमें विपक्ष कितना सफल होता है यह तो वक्त बताएगा लेकिन एसआईआर के अलावा विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें ऑपरेशन सिंदूर के कथित सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा तथा भारत को ऑपरेशन सिंदूर में हुई नुकसानी और पहलगाम हमले के आतंकियों के मारे जाने की टाइमिंग तथा ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ आदि प्रमुख हैं। निश्चित ही विपक्ष आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का यह कदम असंवैधानिक तो नहीं है लेकिन आशंका यह है कि कहीं यह प्रदर्शन बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी अराजक स्थिति पैदा करने का आधार तो नहीं बनाया जा रहा क्योंकि आज से 1 साल पहले इसी अगस्त के महीने में कांग्रेसी नेताओं के ऐसे बयान आए थे जो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने को जनता को उकसाते नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री आवास पर भी लोग धावा बोल देंगे ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुआ। उन्होंने कहा था पहले श्रीलंका में हुआ फिर बांग्लादेश में हुआ अब भारत में भी ऐसा हो सकता है। केवल सज्जन सिंह वर्मा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि भारत में भले ही ऊपर ऊपर सब कुछ सामान्य दिख रहा है लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा ही भारत में हो सकता है। बयान भले ही एक साल पहले के हों लेकिन जिस तरह मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में विपक्षी गठबंधन आंदोलन की रचना कर रहा है वह लोगों को उकसाने वाली कार्रवाई प्रतीत हो रही है। शायद इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आशंका जताते हुए कहा था कि हो सकता है मुझे व्यक्तिगत हानि उठाना पड़े।

आज़ादी के जश्न के साथ मिली विभाजन की त्रासदी

प्रदीप कुमार वर्मा

भारत माता के कई वीर सपूतों की कुर्बानी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश विदेशी दासता की बेड़ियों से मुक्त हो गया। भारतीयों के लिए यह एक सुखद पल था लेकिन टीस यह रही कि भारतवर्ष को अपनी आजादी की कीमत एक नए देश पाकिस्तान के रूप में भारत भूमि का "बंटवारा" करके चुकानी पड़ी। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतवर्ष को आजाद करने से पूर्व दो स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। इसके बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिल गई। भारत की भूमि का भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों के बीच महज भूमि का बंटवारा ही नहीं हुआ, यह विभाजन एक "त्रासदी" लेकर आया। विभाजन के दौरान जब भारत और पाकिस्तान बने तो हिंदू बहुल इलाके भारत में और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। इस दौरान आबादी की अदला-बदली हुई और बड़े पैमाने पर हिंदू- मुस्लिम दंगे हुए। जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत की आजादी के 70 साल से अधिक कालखंड के बाद भी विभाजन की त्रासदी की टीस अभी भी भारतीयों के दिलों में नासूर की तरह जिंदा है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की विभीषिका के अतीत पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत सरकार के आवाहन पर अब देश भर में आजादी की तारीख 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी "14 अगस्त" को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद किया जाता है। आज का दिन उन लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित करने का दिन है जिन्होंने भारत की आजादी की बलि वेदी पर विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। यह सर्व विदित है कि भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में "फूट डालो और राज्य करो" की नीति का अनुसरण किया। अंग्रेजों की इसी नीति के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच पहले अविश्वास की खाई पैदा हुई और वक्त के साथ यह खाई और अधिक चौड़ी और गहरी होती गई। नतीजतन आजादी के दौरान ही टू-नेशन थ्योरी का सिद्धांत कुछ लोगों के दिलों दिमाग पर चढ़कर बोलने लगा। इस सिद्धांत का अंत भारत भूमि के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के रूप में हुआ। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हालात ऐसे बने कि कांग्रेस में शामिल कुछ मुस्लिम नेताओं ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में ही मुसलमान के साथ समान व्यवहार नहीं होता तथा भारत में भी मुसलमान को हिंदुओं के बराबर अधिकार नहीं है। इसी क्रम में वर्ष 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का मानना था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिन्दुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग मांगें रखीं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तत्कालीन इतिहास के मुताबिक वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मुहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की माँग उठाई। वर्ष 1935 में सिंध प्रांत की विधान सभा ने भी यही मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मुहम्मद अली जौहर ने मुहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में 'पाकिस्तान प्रस्ताव' के नाम से भी जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ़ तौर पर कहा कि वह दो अलग-अलग राष्ट्र चाहते हैं। महात्मा गाँधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर ये वार्ता नाकाम रही. इस मुद्दे पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में जबकि गाँधी का कहना था कि आजादी पहले मिलनी चाहिए। वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि में हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई,जिसे 'ग्रेट कैलकटा किलिंग्स' के नाम से याद किया जाता है। इस घटना में करीब 4 हजार लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लगभग एक लाख लोग बेघर हुए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली ज़िले और बिहार तक फैल गई। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को इस बात की आजादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के प्रतिकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफी विवाद हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सौ से ज्यादा वर्षों के शासन और 90 वर्षों के ब्रिटिश राज के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को आखिरकार आजादी मिल गई। वर्षों के उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के बाद जो एक शानदार विजय का क्षण होना चाहिए था, वह अकल्पनीय हिंसा और रक्तपात से अमिट रूप से कलंकित हो गया। यह सत्य है कि वर्ष 1947 में भारत का विभाजन एक दुखद घटना थी जिसने भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग-अलग राष्ट्रों को जन्म दिया। इस विभाजन ने न केवल भौगोलिक सीमाओं को बदल दिया बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और हिंसा हुई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार के राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। भारत सरकार के राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन में कहा गया कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसके रूप में घोषित करती है। तब से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और कष्टों को याद करता है। इसे पहली बार 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया था। आज हम आजादी की आबोहवा में सांस ले रहे हैं और कल 15 अगस्त को आजादी का जश्न भी मनाएंगे।

विभाजन विभीषिका का दिवस 14 अगस्त पर विशेष

कविता

पूनम वासम

सागौन

सागौन के वृक्ष बस्तर भूमि पर उग आए
दो मज़बूत हाथ हैं
जिनकी हथेलियों पर
लिखा भूमकाल का विद्रोह
धीरे-धीरे दम तोड़ रहा है ।
सागौन की चौड़ी पत्तियाँ समेटना चाहती हैं
जल, जंगल, ज़मीन की दुनिया
अपने रेशों में
टहनियों में बान्धकर लाल मिर्च
बनाना चाहती हैं
डारामिरी सा कोई प्रतीक-चिह्न
चूस कर छोड़ दी गई हरियल छाती के लिए ।
सागौन की मोटी जड़ें भीतर ही भीतर
जमा कर रही हैं दर्द का मवाद
गीली मिट्टी की नमी में
आँसू छुपाती सुबक रही जड़ें
अब लिखना चाहती हैं
उपेक्षा का एक पूरा का पूरा इतिहास ।
सागौन के दोनों हाथ चाहते हैं एक बार फिर
शोषण के खिलाफ़ लामबन्द होना
एक बार फिर चाहते हैं
अपनी इस धरती पर
गुण्डाधुर जैसा
कोई नन्हा बीज बोना ।

अव्यवहारिक असहिष्णुता भरा है कुत्तों पर मीलार्ड का फरमान

मनोज कुमार अग्रवाल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर लगातार हो रहे आवारा कुत्तों के हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद सख्त निर्देश जारी किए, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हमें सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा, यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए. अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगर निकायों को तुरंत सभी इलाकों से कुत्तों को उठाने और उन्हें शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया। आज बुधवार को कुत्तों के संबंध में अदालत के आदेश को लेकर पशु प्रेमियों की नाराजगी को देखते हुए स्वयं चीफ जस्टिस बी आर गवई ने इस मामले को स्वयं देखने की बात कही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख फैसला देते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी म्युनिसिपलों को कहा है कि आठ हफ्ते के भीतर सडकों से हर आवारा कुत्ते को हटा दिया जाए, उनके लिए अलग से शेल्टर बनाए जाएं, और एक बार शेल्टर भेजने के बाद वे सडकों पर वापिस न आ सकें। दो जजों की बेंच बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों को देखकर खुद संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, और अदालत ने पशुप्रेमी संगठनों से भी कहा कि कोई व्यक्ति इस आदेश पर अमल के बीच में न आए, वरना उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। अब मीलार्ड के आदेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और पशु हित रक्षक संगठन कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। आपको बता दें कि अदालत के सामने आए आंकड़ों में बताया गया है कि दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं, और पिछले बरस 68 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा था।देश भर में कुत्तों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और करीब पांच करोड़ तक पहुंच है। कमोबेश देश भर में आवारा कुत्तों के हमले में छोटे बच्चे रोजाना जान गंवा रहे हैं देश भर में कुत्ते रोजाना 25000 लोगों को काट रहे हैं यानी हर मिनट 415 लोग कुत्तों के शिकार बन जाते हैं जबकि दिल्ली में ही रोजाना 2000 से अधिक लोगों को कुत्ते काट लेते हैं। दुनिया में रैबीज से होने वाली मौतों में से 36प्रतिशत भारत में होती हैं। हाल ही में कुत्ते के काटने के बाद कबड्डी खिलाडी ब्रजेश सोलंकी की रैबीज से बेहद दर्दनाक मौत हो गई। यह मामला जानवरों और इंसानों के सहअस्तित्व का है। दसियों हजार बरस पहले इंसानों ने शायद एक जंगली नस्ल को पालकर उसे घरेलू और पालतू बनाया, और वह इंसान के सबसे वफादार प्राणी बन गए। लेकिन यह बात इंसानों के पाले हुए कुत्तों तक तो सीमित थी, जब सडकों पर बिना किसी घरवाले कुत्ते बढ़ने लगे, तो जाहिर है कि न तो उनका टीकाकरण हो सका, और न ही बधियाकरण। नतीजा यह निकला कि कुत्तों में पैदाइश के हर मौसम में आबादी बढ़ जाती है, और म्युनिसिपल किसी भी तरह उन पर काबू नहीं पा सकता। दिल्ली के आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया (पेटा इंडिया) की पशु स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ निदेशक डॉ. मिनी अरविंदन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, "कई कम्युनिटीज आसपास रहने वाले कुत्तों को परिवार मानते हैं, और कुत्तों को विस्थापित करना और जेल में डालना वैज्ञानिक नहीं है और कभी कारगर नहीं रहा है. 2022-23 में किए गए एक जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में लगभग 10 लाख कम्युनिटी कुत्ते हैं, जिनमें से आधे से भी कम की नसबंदी की गई है. दिल्ली की सड़कों से लगभग 10 लाख कम्युनिटी कुत्तों को जबरन हटाने से उन कम्युनिटीज में खलबली मच जाएगी, जो उनकी गहरी परवाह करते हैं. इसके साथ ही कुत्तों में भी बड़े पैमाने पर अराजकता और पीड़ा होगी. आगे कहा गया कि अंततः इससे कुत्तों की आबादी पर अंकुश लगाने, रेबीज़ कम करने या कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने में कोई मदद नहीं मिलेगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्याप्त संख्या में कुत्तों के आश्रय स्थल बनाना असंभव है और कुत्तों को विस्थापित करने से कुत्तों के बीच क्षेत्र को लेकर झगड़े और भुखमरी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. अंततः, कुत्ते फिर से उन्हीं क्षेत्रों में लौट आते हैं, खासकर जब पिल्ले पैदा होते रहते हैं. इसीलिए, सरकार ने 2001 से कम्युनिटी कुत्तों की नसबंदी अनिवार्य कर दी है। एक ऐसी प्रक्रिया, जो उन्हें शांत करती है और इस दौरान उन्हें रेबीज़ का टीका भी लगाया जाता है.पेटा इंडिया ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने कुत्तों की नसबंदी के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किया होता, तो आज सड़कों पर शायद ही कोई कुत्ता होता। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए, खासकर संवेदनशील इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में यह काम प्राथमिकता पर हो. अगर इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े, तो तुरंत बनाई जाए. अदालत ने कहा कि फिलहाल किसी भी नियम को भूल जाइए, हमें सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करना है. इधर सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को लेकर पशु प्रेमी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अदालत की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस आदेश को अव्यावहारिक, वित्तीय लिहाज से अनुपयुक्त और क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए संभावित रूप से हानिकारक करार दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए दिल्ली सरकार और नगर निकायों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाने और आश्रय स्थलों में रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने कहा कि इस काम की जटिलता इसे 'अव्यावहारिक' बनती है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में तीन लाख आवारा कुत्ते हैं। उन सभी को सड़कों से हटाने के लिए आपको 3,000 पालतू जानवरों के लिए आश्रय स्थल बनाने होंगे, जिनमें से प्रत्येक में जल निकासी, पानी, शेड, रसोई और चौकीदार की व्यवस्था हो। इस पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्या दिल्ली के पास इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये हैं?'इनके पालन पोषण रखरखाव के लिए हर हफ्ते पांच करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। ।उन्होंने कहा, '48 घंटों के भीतर गाजियाबाद और फरीदाबाद से तीन लाख कुत्ते आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में खाना उपलब्ध है और जैसे ही आप कुत्तों को हटाएंगे, बंदर सड़क पर आ जाएंगे... मैंने अपने घर में भी ऐसा होते देखा है। 1980 के दशक में पेरिस में, जब कुत्तों और बिल्लियों को हटाया गया, तो शहर चूहों से भर गया था।' बहरहाल कुत्तों की समस्या को लेकर शीर्ष अदालत और पशु प्रेमियों के अलग अलग तर्क है। दोनों ही पक्ष का रवैया अतिरंजना भरा है जरूरत मध्य मार्ग निकालने की है ताकि कुत्तों की समस्या का समाधान निकल सके और इंसान भी सुरक्षित जीवन जी सकें? नगर निगम प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयास से यह संभव हो सकता है।

थाना खैरीघाट में वांछित अभियुक्तसे पुलिस की हुई मुठभेड़, अभियुक्त के पैर में लगी गोली

स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल नासिर

बहराइच। दिनांक 13.08.2025 को थानाध्यक्ष खैरीघाट को ज़रिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र का वांछित अभियुक्त मु0अ0स0– 358/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम नूर मोहम्मद पुत्र आशिक़ अली जोकि चोरी का समान बेचने के लिए जाएगा । उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा क्षेत्र में छानबीन व तलाश की जा रही थी । इमामगंज से सोहबतिया की तरफ़ जाने वाले मोड़ पर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखा जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। तभी उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीति से फायर कर दिया पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई जिसमें अभियुक्त नूर मोहम्मद के दाहिने पैर में गोली लगी है और उसके पास से एक अदद देसी तमंचा बरामद हुआ है पुलिस टीम द्वारा उसकी मौके से हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए घायल सीएचसी शिवपुर भेजा गया जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उपचार चल रहा है। घटना स्थल पर पुलिस बल उपस्थित है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

स्वतन्त्रता दिवस पर आयोजित हुआ कवि सम्मेलन एवं मुशायरा

ब्यूरो चीफ़ रामेश्वर सिंह भदौरिया

बहराइच। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देर शाम नगर पालिका परिषद, बहराइच के सभागार में नगर पालिका परिषद बहराइच चेयरमैन श्रीमती सुधा देवी के प्रतिनिधि श्याम करण टेकड़ीवाल की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। काव्य संध्या में नगर के कवियों एवं शायरों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं प्रस्तुत कीं। कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का संचालन शिक्षक कवि संतोष सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर बहराइच जनपद के वरिष्ठ कवियों एवं शायरों मुबारक अली, पी.के. प्रचण्ड, तिलक राम अजनबी, रामसूरत वर्मा जलज, प्रदीप पाण्डेय, राशिद राही, रईस सिद्दीकी, अदील, अल्लन बहराईची, डॉ. सिराज, वन्दना विशेष, पंकज शुक्ल नूतन, मंजूर बहराईची, सुनील कुमार, किशोरी लाल चौधरी व गुलशन पाठक सहित अन्य कवियों एवं शायरों द्वारा काव्यपाठ किया गया। कार्यक्रम के अन्त में श्री टेकड़ीवाल द्वारा कवियों एवं शायरों को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जितेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ जीतू, नन्हेलाल लोधी, जनंजय, गणमान्य व संभ्रान्तजन सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण तथा नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

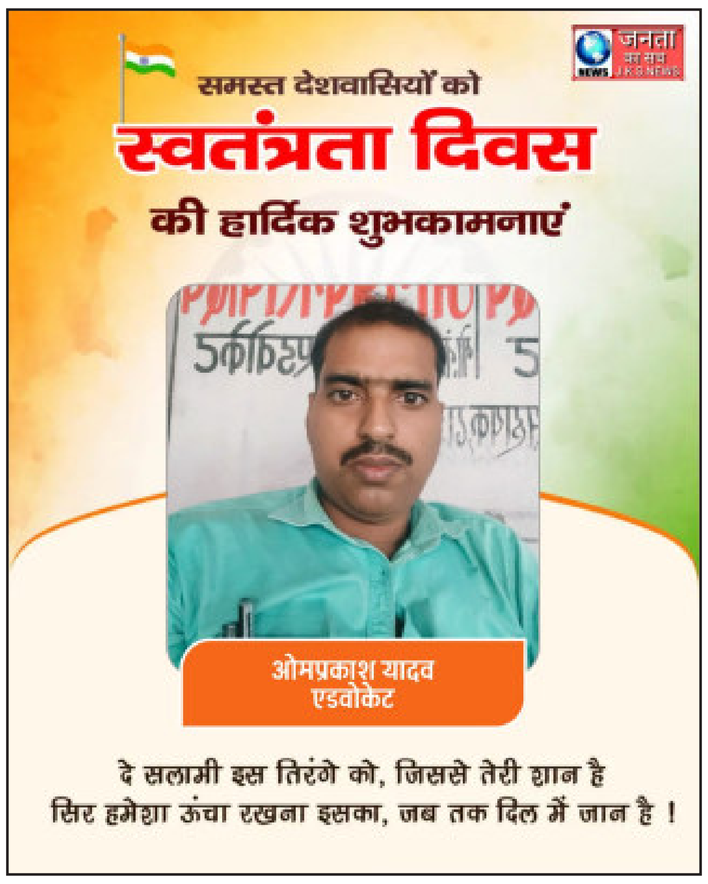

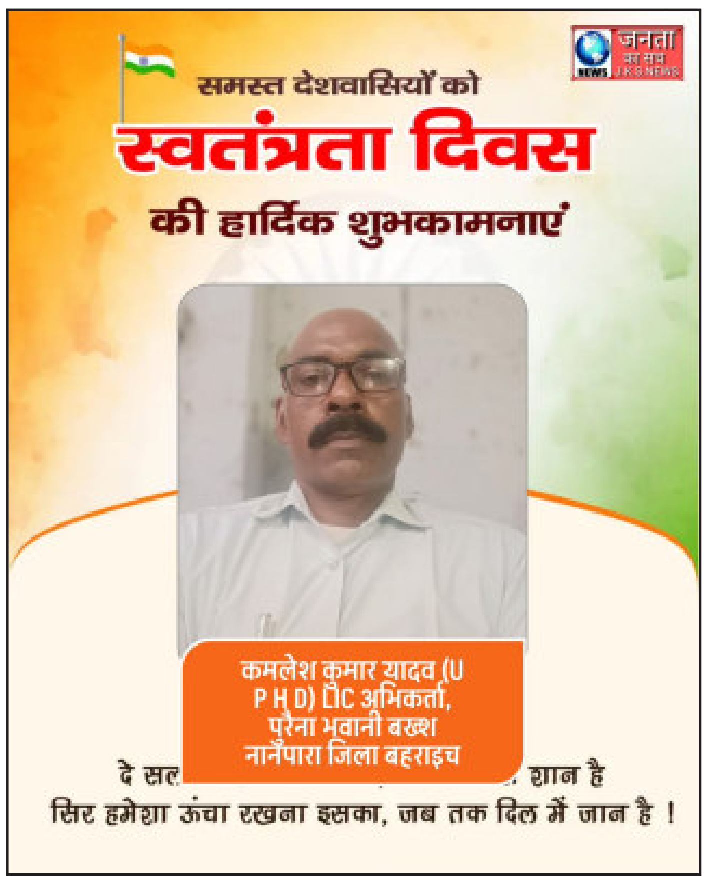

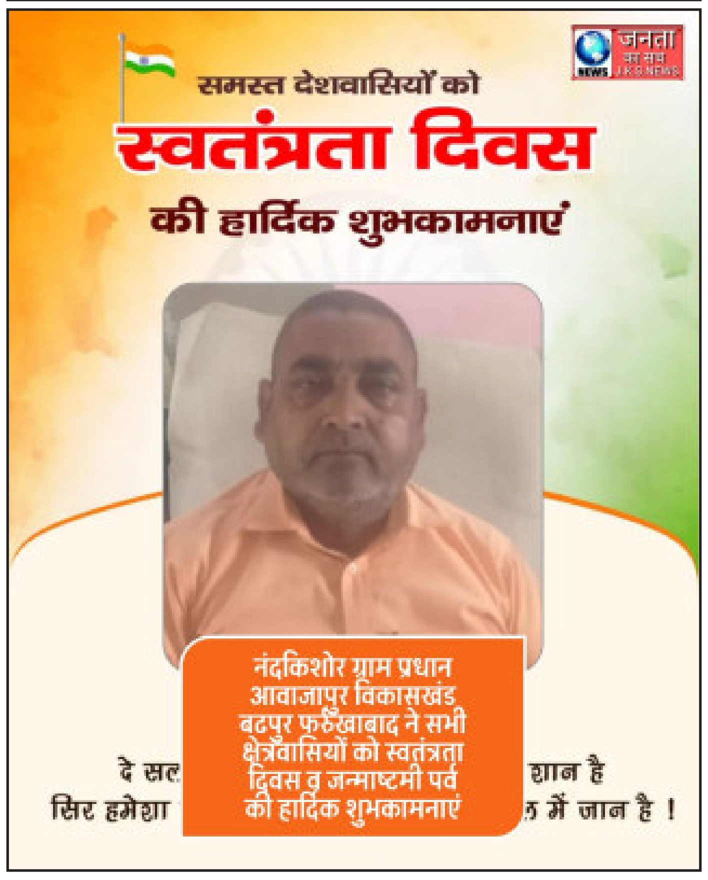

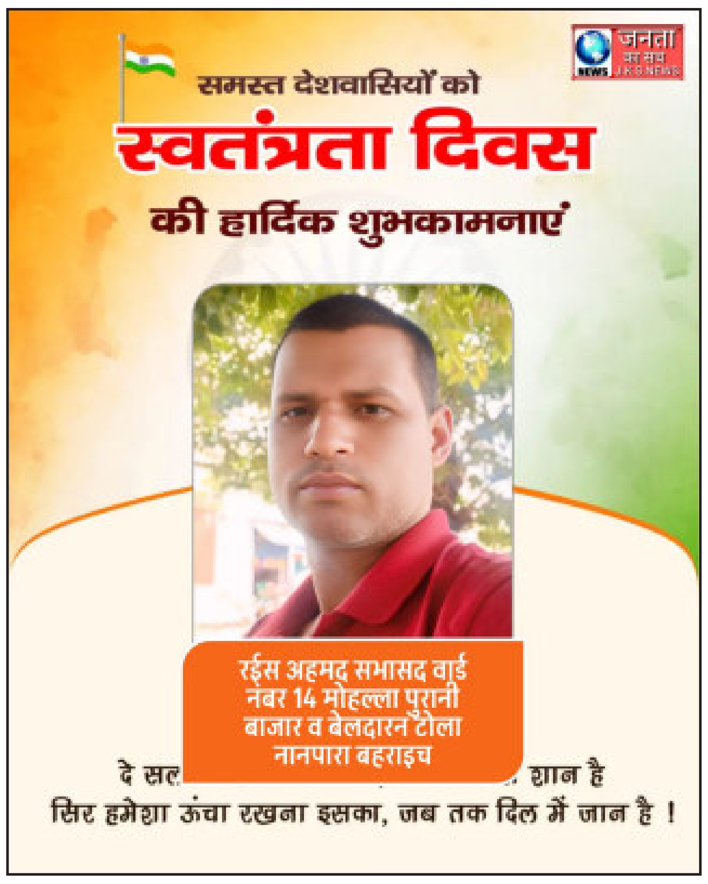

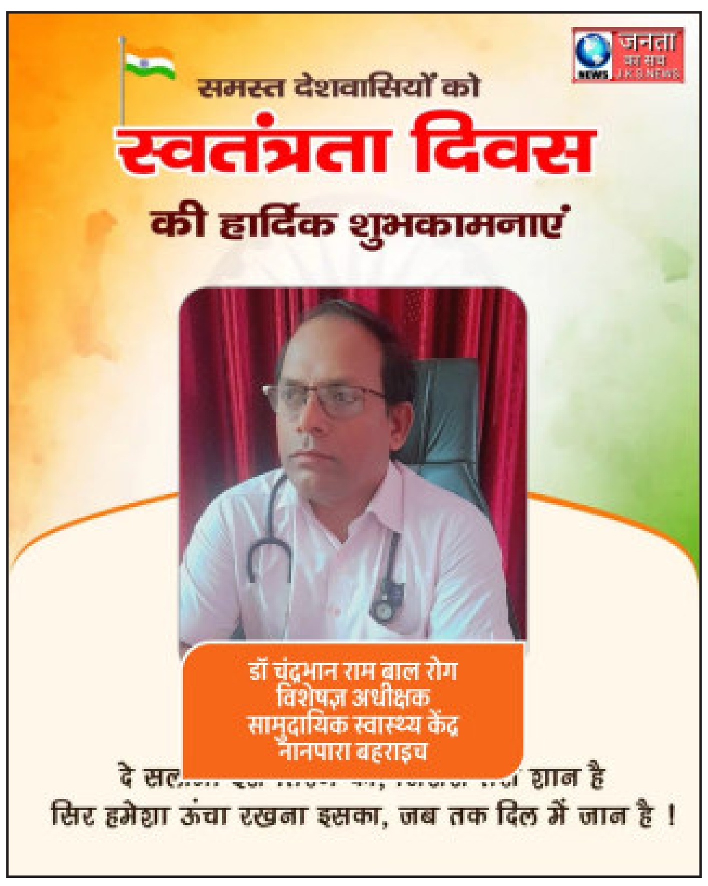

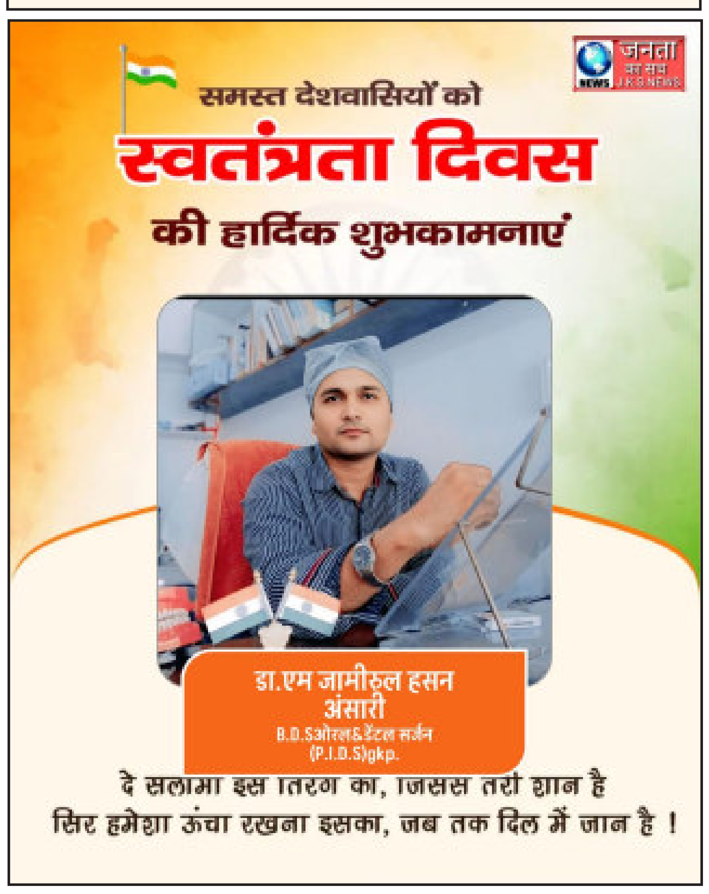

अबोध बालको से केवाईसी के नाम पर लूट

कमलकांत दुबे जिला संवाददाता

फर्रुखाबाद। ब्लाक मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत बासमई के नगला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने नादान छोटे बच्चों के साथ ही बड़ा खेल कर दिया है बच्चों की केवाईसी के नाम पर पूरे गांव से 50—50 रुपए प्रति बच्चे अवैध रूप से वसूले गए जबकि सरकार की तरफ से केवाईसी निशुल्क की जाती है ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की चेतावनी दी है वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पुत्र ने संवाददाता को बताया हमको ऊपर तक पैसे देने होते हैं हम निशुल्क केवाईसी कैसे कर देंगे हम अपनी जेब से पैसा थोड़ी ना भरेंगे मीडिया कर्मी द्वारा ग्रामीणों की खबर कवरेज करने के दौरान मीडिया कर्मी को भी रोकने का प्राय एस किया गया झूठे इल्जाम में फसाने की धमकी भी दी गई गांव की ही मंजू देवी ने बताया कि पूरे गांव से50 प्रति बच्चे के रूप में लिए गए रिंकी समेत एक दर्जन महिलाओं ने बताया की सभी बच्चों की केवाईसी के नाम पर 50—50 रुपए प्रति बच्चा से पैसे लिए गए हैं।

थाना मऊद्दरवाजा क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर

फर्रुखाबाद। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन जोरदारी पर चल रहा है बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे खनन पर कोई प्रशासन रोक नहीं लग पा रहा है सुबह से ही थाने और चौकिया के सामने से मिटटी भरी हुई ट्रालियां गुजराती रहती है परंतु उन पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है बढ़पुर ब्लॉक के हथियापुर बरौन गुतासी रानीगढ़ रेहा सरेया टिमरुआ आदि क्षेत्रों में दिन होते ही मिट्टी का अवैध खनन चालू हो जाता है जो देर रात तक चलता है पहले सपा सरकार में रात में ही अवैध खनन होता था परंतु बीजेपी सरकार बनने के बाद खनन माफिया को लाइसेंस मिल गया है जो दिनदहाड़े हथियापुर चौकी रायपुर चौकी के सामने से भरी हुई ट्राली लेकर के गुजरते रहते हैं जिसको देखकर भी पुलिस आज्ञा बनी रहती है वहीं कुछ खनन माफियाओं का कहना है हम ध्15000 महीने जमा करते हैं तो हमको कौन रोक सकता है शहर से सटे हुए ब्लॉक में जब यह हाल है तो दूर क्षेत्र में क्या हाल होगा इसका अंदाजा बढ़पुर ब्लॉक से ही लगाया जा सकता है।

बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है कोई बड़ा हादसा बिजली विभाग के अफसर नहीं दे रहे हैं कोई ध्यान

कमल कांत दुबे

फर्रुखाबाद। शमशाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत खिनमनी ट्रांसफार्मर से नंगे तार बंधे हुए हैं तो कहीं पर लकड़ी के खंबे लगा लगाकर कम चलाया जा रहा है ग्रामीणों ने बताया बरसात के टाइम पर ऐसे नंगे तार और लकड़ी के खभों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी की गई लेकिन वह किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब बिजली विभाग के कर्मचारी एक दूसरे के ऊपर डालकर मामले को दबा देंगे ग्रामीणों ने बताया यह ट्रांसफार्मर जब से रखा गया है तब से ऐसे ही तार जुड़े हुए हैं ग्रामीणों का कहना है जहां पर यह ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वहां पर बरसात के टाइम पर पानी भी भरा रहता है जिससे कभी भी ये करंट उतर सकता है किसी भी ग्रामीण की जान जा सकती है ग्रामीणों ने बताया इसकी शिकायत कई बार एसडीओ जेई से की गई है लेकिन उनकी भी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है।

विशाल ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा

कमलकांत दुबे जिला संवाददाता के साथ अजय कुमार गंगवार की रिपोर्ट

फर्रुखाबाद। लिंक एक्सप्रेस के विरोध में किसान यूनियन टिकट के जिला अध्यक्ष ने निकाल विशाल ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जिसमें जिले के सैकड़ो के तादाद में किसान इकट्ठे हुए यह यात्रा फर्रुखाबाद के बेवर रोड टोल प्लाजा के पास से प्रारंभ हुई और जिला मुख्यालय फतेहगढ़ में जाकर समाप्त हुई इस यात्रा का मैन मकसद यह है कि जो लिंक एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से होते हुए जा रहा है जिस में बरौन गुतासी समेत गंगा पार के कई गांव की जमीन जा रही है जिनका सर्किल रेट बहुत कम मिल रहा है जिसकी वजह से किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सोपा।

लकड़ी माफिया सरेआम हरे भरे पेड़ों पर कुदारी बरसा रहे

फर्रुखाबाद। जिले भर में जहां एक तरफ सरकार की तरफ से वृक्षारोपण कराया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ लकड़ी ठेकेदार बड़े जोरदार से हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी बरसा रहे हैं फर्रुखाबाद शमशाबाद क्षेत्र में दिन निकलते ही लकड़ी माफिया सरेआम हरे भरे पेड़ों पर कुदारी बरसा रहे हैं जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वृक्षारोपण कराया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ फर्रुखाबाद के शमशाबाद में बेधड़क होकर सुबह से ही लकड़ी ठेकेदार हर—भाड़े पेड़ों पर कुदारी बरसाना चालू कर देते हैं वन विभाग शमशाबाद के दरोगा राकेश तिवारी भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते नजर आए उनका कहना है की मुझे जहां से भी सूचना मिलती है मैं वहां पर जाकर तत्काल कार्रवाई करता हूं और लकड़ी माफिया को सख्त हिदायत देते हुए और चालान करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाता हूं वहीं गुरुवार को गुड़गांव देवी से शमशाबाद मार्ग पर सुबह 8रू00 बजे के करीब आम की लकड़ी भरे हुए ट्रैक्टर को उन्होंने रॉक कर उसका 55000 का चालान काटा लकड़ी माफिया ठेकेदार चांद मियां सलीम बृजभान का चालान करके सख्त कार्रवाई की गई वही शमशाबाद के रेंजर दरोगा राकेश तिवारी ने बताया अगर हमको पेड़ काटने की सूचना कहीं से भी प्राप्त होती है तो मैं तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करता हूं और ऐसे लकड़ी माफियाओं को बिल्कुल ही नहीं बक्शा जायेगा।

अमृतपुर तहसील में घुस गया गंगा का पानी गंगा खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर

कमलकांत दुबे जिला संवाददाता

फर्रुखाबाद। कुढला झील के पास बनी पुलिया के ऊपर से निकल रहा पानी सड़क व पुलिया में आ रही दरार हो सकता है फर्रुखाबाद बदायूं संपर्क मार्ग बंद अमृतपुर तहसील क्षेत्र में गंगा की बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 4 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ जिसके चलते आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जनजीवन अस्त—व्यस्त है। जिसके चलते हरे चारे से लेकर अन्य संसाधनों को लेकर भी ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है वही आज नरौरा बांध से 191442 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसके चलते गंगा का जलस्तर 137.45 पर पहुंच गया तथा खतरे के निशान से गंगा 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। साथ ही रामगंगा में 14939 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसके चलते रामगंगा भी चेतावनी बिंदु के पार पहुंच गई हैं राम गंगा का जलस्तर 136.90 सेंटीमीटर पर बह रहा है साथ ही आने—जाने में ग्रामीणों को कठिनाइयां हो रही हैं उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं बताया जा रहा है कि आज तहसील परिसर में भी बाढ़ का कई फीट पानी बह रहा है जिसके चलते न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई साथ ही अधिवक्ता भी पानी से गुजर कर न्यायिक कार्य करने में विराट दिखे साथ ही कुढला झील के पास बनी पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा तथा पुलिया भी अब क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुंच गई है अगर पुलिया में नुकसान पहुंचा तो फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग पूर्ण तरह से बंद हो सकता है साथ ही चित्रकूट, अंबरपुर, खानपुर, पश्चिमी गोटिया तुषौर, मंझा की मड़ैया बनारसीपुर हमीरपुर फखरपुर किराचन सुभानपुर तीसराम की मड़ैया आशा की मड़ैया नगरिया जवाहर बमियारी बरुआ कुम्हरौर गूजरपुर पमारान समेत 4 दर्जन से अधिक गांव में पानी घुसने लगा है जिसके चलते अब परेशानियां बढ़ रही हैं साथ ही रामगंगा भी अब ऊफान पर दिखाई दे रही हैं। जिसके चलते हीरानगर गुडेरा भावन चपरा, अमैयापुर पश्चिमी,कोलासोता समेत अन्य गांव भी रामगंगा की चपेट में दिखाई देने लगे हैं गांव के किनारे पानी पहुंच गया है फसले जल मंग्न दिखाई दे रही हैं।

आज रामगंगा नदी में सुबह 14939 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसके कारण राम गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर 136.90 पर पहुंच गया अब रामगंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर दूर रह गई है जिसके चलते अब तबाही शुरू हो रही है जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी से बाढ़ के सम्बन्ध में मीडिया की बातचीत, दी जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में लगभग 80 गांव तीनों तहसीलों में प्रभावित हैं लगातार बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है पूरे जिले में अभी तक बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों में 3000 राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है जिले में ग्रामीणों के आवागमन के लिए 90 नाव लगाई गई है। अमृतपुर तहसील क्षेत्र में 13 बाढ़ शरणालय और 35 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं अमृतपुर तहसील पावर हाउस भी हो सकता है बंद विद्युत विभाग के द्वारा बताया गया है कि लगभग अभी तक बाढ़ ग्रस्त 52 गांव की विद्युत व्यवस्था को बंद किया गया है अब तहसील में पानी भर गया है जिसके चलते तहसील परिसर में बने विद्युत उपकेंद्र को भी बंद किया जा सकता है जिसके चलते विद्युत व्यवस्था तहसील समेत अन्य गांव की खतरे में दिखाई दे रही है।

हर्षोल्लास के साथ जनपद में मनाया गया स्वतन्त्रता दिवस, सम्मानित किये गये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिजन

स्टेट ब्यूरो अब्दुल नासिर

बहराइच। स्वतन्त्रता दिवस समारोह जनपद में गरिमापूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले में स्वतन्त्रता दिवस समारोह का शुभारम्भ क्रासकंट्री दौड़ तथा एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गयी प्रभात फेरी के साथ हुआ। सरकारी भवनों व शिक्षण संस्थाओं में ध्वाजारोहण तथा राष्ट्रगान गायन के साथ अन्य विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वतन्त्रता संग्राम के ज्ञात—अज्ञात अमर सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किये गये। मुख्य समारोह कलेक्ट्रेट में आयोजित हुआ जहां पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर माण्टेसरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा भावपूर्ण राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिजनों श्रीमती कबूतरी देवी, कर्मवीर सिंह एडवोकेट, अनिल त्रिपाठी, राजीव मिश्रा, कामरान सिद्दीकी, मोहम्मद तारिक बेग, मोहम्मद हुसैन, जमीला व आशाराम उपाध्याय तथा काव्यपाठ करने वाले कवियों एवं शायरों अल्लन बहराइची, नजर बहराइची व लक्ष्मी कांत त्रिपाठी मृदुल को अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। जबकि राष्ट्रगान प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। समारोह को सम्बोधित करते हुए डीएम श्री त्रिपाठी ने स्वतन्त्रता संग्राम के ज्ञात—अज्ञात अमर सेनानियों को नमन करते हुए सभी को 79वें स्वतन्त्रता दिवस की बधाई दी। डीएम ने कहा कि अमर शहीदों के त्याग और बलिदान से आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जहाँ भी जिस पद पर हैं अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा व लगन से निर्वहन कर आमजनमानस की समस्याओं का समाधन करने का भरसक प्रयास करें। हमारा यहीं कृत अमर सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डीएम श्री त्रिपाठी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसानों के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों योजनाएं तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। श्री त्रिपाठी ने कहा कि आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में तेज़ी के साथ विकास हुआ है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है। उन्होंने जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आहवान किया कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिले को सामान्य जनपदों की श्रेणी में लाने का प्रयास करें। कार्यक्रम को मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राम दयाल व अमिता यादव, शासकीय अधिवक्ता अजय शर्मा व अतुल गौड़, कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त वरिष्ठ कर्मचारी नन्द किशोर जायसवाल, सेनानी परिजन कर्मवीर सिंह एडवोकेट सहित अन्य वक्ताओं ने सम्बोधित करते हुए अमर सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सभी को स्वतन्त्रता दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन कलेक्ट्रेट कर्मी संदीप मिश्रा ने किया। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय, जिला पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष श्रीवास्तव सहित कलेक्ट्रेट व कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी तथा संभ्रान्त व गणमान्यजन मौजूद रहे। समारोह के उपरान्त डीएम ने अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण भी किया।

राष्ट्र के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा किया गया ध्वजा-रोहण, वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया गया प्रेरित

ब्यूरो चीफ रामेश्वर सिंह भदौरिया

बहराइच। पुलिस महानिदेशक उ. प्र. द्वारा पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए प्रशंसा चिह्न, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह का वितरण किया गया। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। ओलम्पियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रधानाचार्य छात्रों को मेडल, सर्टिफिकेट व चेक पुरस्कार का वितरण किया गया। हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। विगत 1 वर्ष में सेवा काल के दौरान मृतक कर्मियों के आश्रितों को अंग वस्त्र वितरित किये गये। आज राष्ट्र अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक आवास तथा रिजर्व पुलिस लाइन बहराइच में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी दी गयी, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र की एकता, अखण्डता को अक्षुण्य रखने हेतु राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का स्मरण किया गया । इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा दिये गये सेवा चिन्हों को देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा जिले की पुलिस द्वारा अलग—अलग क्षेत्रों में ईमानदारी, मेहनत व लगन से कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महोदय द्वारा संबोधन में देश की स्वतंत्रता को संजोए रखने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने हेतु प्रेरित किया गया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देश के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों की गौरव गाथा के बारे में बताया गया । साथ ही बताया कि हमें अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए और समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए । हमें अपने काम में पारदर्शिता और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे । महोदय द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए आम जनमानस से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने एवं हर संभव विधिक मदद करने के लिए प्रेरित किया । इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तथा जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी कार्यालयों/थानों/चौकियों में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण कर देश के इस विशेष पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महोदय द्वारा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं गयीं व सभी से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की अपील की गयी तथा मिष्ठान वितरित कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गयी। तदोपरांत सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को 'श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा प्रदान किए गए प्रशंसा चिह्न, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह का वितरण महोदय द्वारा किया गया।

1. पुलिस उपाधीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी महसी : सिल्वर प्रशंसा चिह्न
2. उपनिरीक्षक परिवहन धर्मेन्द्र कुमार यादव, परिवहन शाखा : स्वर्ण प्रशंसा चिह्न
3. उपनिरीक्षक ना0पु0 श्री हरेन्द्र नाथ राय, जनसम्पर्क अधिकारी : सिल्वर प्रशंसा चिह्न
4. उपनिरीक्षक ना0पु0 श्री राजकुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष रामगांव : सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न

इसके अतिरिक्त ओलम्पियाड परीक्षा 2024—25 में प्रधानाचार्या श्रीमती निशा सिंह — बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड अर्जित करने पर 1000 चेक पुरस्कार, अद्रिका यादव (कक्षा 02 — इंटरनेशनल रैंक 01) को मेडल, सर्टिफिकेट व 1000 पुस्तक पुरस्कार, इशिता (कक्षा 03 / इंटरनेशनल रैंक 13) को सर्टिफिकेट व 500 पुस्तक पुरस्कार, सानिया आजाद (कक्षा 10/स्टेट रैंक 01) को मेडल, सर्टिफिटेक व 1200 चेक पुरस्कार, वैष्णवी शर्मा (कक्षा 04) व अनिका सिंह (कक्षा 05) को मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन तथा शिक्षा सत्र 2024—25 में हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, इसके अतिरिक्त सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी कर्माचारीगण को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया । साथ ही विगत 01 वर्ष में सेवा काल के दौरान मृतक कर्मियों के आश्रितों को अंग वस्त्र वितरित किये गये। अंत में, महोदय द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा तथा सभी को स्वच्छ और हरित परिवेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया गया । इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री रामानन्द कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी तथा अन्य राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5—14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ— 226001 से मुद्रित तथा 486/238—डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ—226020 से प्रकाशित।

सम्पादक— शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।